कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

फोन (कार्यालय-245167 ई-मेल-) dfotnshahd@mp.gov.in

क्रमांक/2294 24-3-25

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

वनमंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं शासकीय कार्यो के सम्पादन के लिए वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु 06 बोलेरो वाहनो हेतु ई-टेडरिंग पद्धति से आनलाईन पोर्टल https://mptender.gov.in/ के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	कार्य का विवरण	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य समयावधि
1	वनमंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत (वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं शासकीय कार्यो के सम्पादन) के लिए वर्ष 2025-26 की शेष अवधि हेतु 06 बोलेरो वाहन 2000 कि0मी0 तक प्रति माह ईधन सहित किराया की निविदा	1,50,000/- (एक लाख पचांस हजार रूपये)	1,000/-	वित्तीय वर्ष 2025-26

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उत्तर शहडोल

Scanned with ACE Scanner

समस्त निविदाकारों को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है -

1. निविदादाता निविदा की सूचना की विस्तृत जानकारी एवं अन्य संबंधित जानकारी वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ एवं विभाग की वेबसाईट https://mpforest.gov.in/ पर देख सकते है।
2. वाहन किराए पर लगाये जाने के लिए नियमानुसार जी.एस.सी./सर्विस टैक्स (सेवा करदाता) व्यक्तियो/पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है. सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/ संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिए जाने संबंधित प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज आनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
4. निविदा में कोई भी संशोधन वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में अनिवार्यः पंजीबद्ध होना चाहिए।
6. वाहन अच्छी हालत एवं माडॅल वर्ष 2021 या बाद के वर्ष का होना चाहिए।
7. टेंडर दाता को टेंडर फार्म के साथ प्रत्येक वाहन से संबंधित दस्तावेज (वाहन का पंजीयन, टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी.यू.सी. फिटेनस प्रमाण पत्रा, ड्राईवर का नाम, मोबाइल नम्बर एवं उसका ड्राईविंग लाइसेंस) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन 24 घंटे के लिए विभाग को उपलब्ध कराना होगा, एवं वाहन 24 घंटे विभागीय अधिकारियों के अधिपत्य में रहेगा।

10. वाहन पर नियुक्त ड्राइवर का वेतन, वाहन का मेंटीनेंस, आयल सर्विस, टैक्स आयकर, कामर्शियल टैक्स, परमिट शुल्क, बैरियर शुल्क, बीमा सहित अन्य समस्त व्यय निविदाकार को स्वयं वाहन करना होगा। निर्धारित व स्वीकृत किराये की राशि के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान शासन द्वारा नही किया जायेगा।
11. वाहन की निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा विभाग को वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में एवं शर्तो का उल्लघंन माना जाकर उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी।
12. आयकर एवं अन्य समस्त देय करों के भुगतान की राशि वनमंडल से देय भुगतान से काटी जा सकेगी।
13. प्रत्येक निविदाकार कही भी ब्लैक लिस्ट न होने का **Self certification** प्रस्तुत करेगे।
14. वाहन का अनुबंध वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ही रहेगा जिसे आगामी वित्तीय वर्ष मे दोनो पक्षो के मध्य सहमति के आधार पर आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता हैं।
15. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें।

    अ वाहन का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे।

    ब आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।

    स आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।

    द टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी0यू0सी0 फिटनेश प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

    ई ड्राईवर का नाम, मोबाईल नंबर ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस।

Scanned with ACE Scanner

फ समस्त वाहनो मे जीपीएस एवं फ्रन्ट तथा बैक कैमरो का होना अनिवार्य है इस संबंध मे निविदाकार के द्वारा फर्म के लेटर हेड मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपलोड करना होगा।

16. आनलाईन निविदा की टेन्डर फीस राशि रू0 1000 एवं **EMD** राशि रूपये 150,000/- रहेगी। चयनित निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित सामग्री की **Performance Security Deposit** रूपये 150,000/- राष्ट्रीयकृत बैक से एफ.डी.आर. के रूप में वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल उत्तर शहडोल के पक्ष में बनाकर जमा करना होगा। Performance Security Deposit जमा होने उपरांत ही निविदा आवंटित की जावेगी।

17. नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दुर्घटना के लिए वनमण्डल कोई जवाबदारी वहन नही करेगा।

18. वाहन मालिक या वाहन चालक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त नही होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो वाहन मालिक/वाहन चालक जिम्मेदार होगे तथा उसी समय वाहन अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

19. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल को होगा।

20. निविदा की दरें निर्धारित BOQ फाईल में ही भरी जायेगी।

21. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नही होगी। वेतन यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

22. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार के मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।

23. किराये पर लिये गये वाहन की सेवाएं सन्तोषजनक नही होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का संपूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल का होगा।

24. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तो के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी शासन के पक्ष में रासात करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर 03 वर्षो के लिये शासकीय विभागो में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

25. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल को निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

निम्नानुसार दस्तावेजो फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना है।

क्रं.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्रा) जमा की रसीद।
2	सत्यंकार की राशि रूपये 150,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) जमा रसीद।
3	प्रत्येक निविदाकार कही भी ब्लैक लिस्ट न होने का प्रपत्रानुसार certification प्रस्तुत करेगे।
4	प्रपत्र ए-1,ए2
5	वाहन का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे।
6	आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
7	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
8	टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी.यू.सी., फिटनेस प्रमाण पत्र, वायु प्रदूषण, की छायाप्रति।
9	ड्राईवर का नाम, मोबाइल नम्बर, ड्राईवर का ड्राइविंग लाइसेंस।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

प्रपत्रा ए-1

(निविदा प्रपत्रा) फर्म की जानकारी

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

विषय- वाहन किराया हेतु निविदा वर्ष 2025-26 बावत्।

महोदय,

उपरोकत विषयांतर्गत निवेदन है कि, हमारी संस्था/फर्म की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्रा व्यवहार का पता	
3	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
5	दूरभाष नम्बर (मोबाइल एवं लेंडलाईन)	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, निविदा में दर्शित शर्त क्रमांक 1 से 28 तक की समस्त शर्त मुझे मान्य है एवं उक्त शर्तो के अनुसार ई-निविदा हेतु निविदा वर्ष 2025-26 का कार्य पूर्णत: करने को अपनी सहमति प्रदान करते है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

Scanned with ACE Scanner

प्रपत्र ए-2

ड्राईवर संबंधी प्रपत्र

1	ड्राइवर का नाम	
2	ड्राइवर का ड्राईविंग लाइसेंस	
3	ड्राइवर का मोबाइल नम्बर एवं पता	

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

Scanned with ACE Scanner